



अपराध अनुसंधान विभाग

अप्रैल- 2019

अंक- 02

6 मध्यप्रदेश पुलिस ने वर्ष 2019 के प्रथम चार माहों में सनसनीखेज, गम्भीर अपराधों की विवेचना एवं चिन्हित अपराधों में सजायाबी में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। पुलिस महानिदेशक, म.प्र. के निर्देशन में अपराधों की रोकथाम एवं गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु विशेष अभियान सफलता-पूर्वक चलाए गए हैं।

न्यूज लेटर के माध्यम से इन सफलताओं को पुलिस की समस्त इकाईयों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अनुसंधान, वैज्ञानिक साक्ष्य एवं अभियोजन के सामंजस्य से महत्वपूर्ण प्रकरणों में कठोरतम सजा हुई, जिससे म.प्र. पुलिस का नाम गौरवान्वित हुआ है। मुझे आशा है कि पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थों को प्रोत्साहित कर अपराधों की रोकथाम एवं सजायाबी हेतु लगातार प्रयासरत रहेंगे।

शुभकामनाओं सहित।

राजीव टण्डन, अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पु.मु., भोपाल

12-14 मार्च पुलिस अधिकारियों हेतु आयोजित कौशल उन्नयन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डी.जी.पी. (म.प्र.) श्री व्ही.के. सिंह



खंडवा : “लुटेरों का अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ाया अनेक वारदातों का पर्दाफाश”

दिनांक 03.01.19 को श्री परितोष सोनी जो सोने-चाँदी का व्यापार करते हैं व ओंकारेश्वर में मयूरी ज्वैलर्स के नाम से शॉप है, प्रतिदिन की भांति अपने घर से सोने के जेवरात व नगदी लेकर जा रहे थे। नर्मदा रिसोर्ट पुराने बस स्टैंड के पीछे मांथाता में सुनसान स्थान से गुजर रहे थे कि एक पिकअप वाहन में दो-तीन लोग आये और देशी कट्टे से फायर कर परितोष सोनी को घायल कर सोने-चाँदी के जेवरात नगदी, मोबाइल इत्यादि लूट कर पिकअप से भाग गये।



घायल परितोष सोनी जैसे-तैसे पास ही बस स्टैंड आये व लोगों की मदद से अस्पताल पहुँचे व पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल सक्रिय हुई, चारों दिशाओं में नाकाबंदी व सर्चिंग कराई गई। सूचना एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपीगण संजय विश्वकर्मा, विश्वास उर्फ विशाल सोनी तथा मनोज पेंटर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अपहृत संपत्ति बरामद करने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गये गिरोह से थाना राजेन्द्र नगर इंदौर, बड़वाह, थाना मौघट खंडवा, जलगांव महाराष्ट्र एवं होशंगाबाद की लूट की वारदातों का भी खुलासा होकर इन प्रकरणों में गिरफ्तार किया जा चुका है तथा मशरूका भी बरामद हो चुका है। प्रकरण में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रदेश में गुम बालक/बालिकाओं की तलाश हेतु चलाया गया विशेष अभियान

प्रदेश में लगातार गुम हो रहे बालक बालिकाओं की तलाश कर उन्हें उनके परिजनों को सौंपने हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर पर सीआईडी द्वारा दिनांक 15.03.2019 से दिनांक 15.04.2019 तक प्रदेश स्तर पर



एक विशेष अभियान चलाया गया। उक्त अवधि में सम्पूर्ण प्रदेश से कुल 1037 बालक/बालिकाएं गुम हुईं एवं पुलिस द्वारा अभियान अवधि में सफलतापूर्वक कुल 1054 बालक/बालिकाओं की तलाश कर उन्हें उनके परिजनों से मिलवाया गया जिसमें अभियान अवधि से पूर्व में गुमी हुई बालक/बालिकाएं भी सम्मिलित हैं। प्रदेश के जिला इंदौर, सतना, रतलाम एवं रीवा द्वारा इस अभियान के दौरान अपेक्षाकृत बेहतर कार्यवाही करते हुये अधिक संख्या में बालक बालिकाओं की बरामदगी की गई। मैहर नवरात्र मेले में सतना पुलिस की महिला एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस टीम ने संवेदनशीलता एवं तत्परता से कार्यवाही कर कुल 229 लोगों (35 महिलाएं, 162 बच्चे एवं 22 पुरुष) को उनके परिजनों/अभिभावकों से बिछड़ने पर वापस मिलवाया। पुलिस द्वारा बालक, बालिकाओं के गुमने की ज्वलंत समस्या के संबंध में विशेष अभियान आयोजित कर तत्परता एवं संवेदनशीलता दर्शाते हुये गुम बालक, बालिकाओं एवं उनके परिजनों को राहत पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया।

इंदौर : “ सुपारी देकर बड़े कारोबारी की हत्या, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस के हाथ लगी सफलता ”

दिनांक 16.01.19 के 19.55 बजे जी. सचचीननंद के सामने सर्विस रोड विजय नगर इंदौर, कारोबारी श्री संदीप अग्रवाल अपने ऑफिस से घर जाने के लिए कार में बैठ रहे थे, तभी अज्ञात दो से तीन आरोपियों ने संदीप अग्रवाल को 5 गोलियां मारीं, जिन्हें उपचार हेतु बॉम्बे अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रकरण में विवेचना के अनुसार घटनास्थल पर एक होन्डाई आई-10 सफेद गाड़ी जिसमें सवार बदमाश दिखाई दे रहे थे। दो बदमाशों के द्वारा संदीप पर गोलियां चलाई गईं।

एक बदमाश के द्वारा पुनः गोलियां चलाई गईं। सनसनीखेज घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और तत्काल बदमाशों के हलिये को प्रसारित किया गया, नाकाबंदी, वाहन चैकिंग की गई तथा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गये। बाद में यही वाहन लसूडिया में तलावली चांदा पर लावारिस हालत में मिला। जांच में वाहन पर लगी नंबर प्लेट फर्जी पायी गयी। उक्त वाहन आर जे 02 सीए 4592 नवम्बर 2018 में राजस्थान से चोरी होना ज्ञात हुआ। घटना के तार कारोबारी रंजिश के चलते और सूत्रों की खबर के मुताबिक कारोबारी की हत्या सुपारी देकर करवाई जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस द्वारा राजस्थान के निम्बाहेड़ा जेल में बंद

संदीप हत्याकांड • मराठा ने कबूला सेठी ने हत्या के लिए उसे दिए थे 10 लाख रोहित दुबई के कारोबारी को 200 करोड़ रुपए में केबल नेटवर्क बेचना चाहता था

भास्कर न्यूज़ | इंदौर

कमोडिटी कारोबारी संदीप अग्रवाल उर्फ संदीप तेल की हत्या में फगर रोहित सेठी पर पुलिस ने 20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। रोहित ने अपने एसआर केबल नेटवर्क को दुबई में एक बड़े कारोबारी को 200 करोड़ रुपए में बेचने की पेशकश कर ली थी। सूत्र बताते हैं ये डील जल्द ही पूरी



संदीप तेल

है। हत्या को अंजाम देने वाले गैंगस्टर मुधाकर राव मराठा ने कबूल है कि सेठी ने उसे 10 लाख रुपए दिए थे, जिससे उसने फंड के चतुर्वेदी नगर से 9 एमएम की दो पिस्टल, हत्या के लिए शूटर्स से संस्क में रहने के लिए चार मोबाइल फोन, कार व शूटर्स के भागने की व्यवस्था करवाई थी। इधर पुलिस ने भूमिकाया चंग अजमेरा को भी पूछताछ के लिए उठाया है। 'वहीं सेठी के पार्टनर सुरेश बजाज से हीरानगर धाने में पूछताछ जारी है। एअरसे पूर्व अवधेश गोस्वामी के मुताबिक सहाकर मराठा और रोहित सेठी के बीच बातचीत

भोपाल समेत प्रदेश में 22 घंटे तक सात लाख केबल कनेक्शन बंद रहे

भोपाल समेत प्रदेश में चल रहे एसआर केबल के कनेक्शन 22 घंटे बंद रहे। केबल कनेक्शन का इंदौर स्थित सेटल कंट्रोल कम पुष्पा रात करीब 9 बजे सीज कर दिया था। इसका असर राजधानी समेत प्रदेशभर के करीब लाख केबल टीवी कनेक्शन पर पड़ा। भोपाल में 50 हजार कनेक्शन हैं। ऐसे में ऑफिसरों का समय उपभोगकों के फोन परीक्षण प्रभाव है।

सुधाकर राव मराठा से पूछताछ की गई। जिसमें उसके द्वारा इस हत्याकांड को करना कबूल किया व बताया कि उसके ही द्वारा रोहित सेठी से 10 लाख की सुपारी लेकर अपने बदमाश साथियों द्वारा संदीप तेल की हत्या करवाई गई है। प्रकरण के सभी आरोपीगण सुधाकर राव मराठा, योगेश गहलोत उर्फ योगी, सोनू उर्फ भास्कर त्रिवेदी, रोहित सूर्यवंशी, अविनाश चौधरी, रोहित सेठी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

“प्रदेश में अवैध मादक पदार्थ तस्करो के विरुद्ध अभियान”

इस वर्ष विगत एक जनवरी 2019 से 30 अप्रैल 2019 तक संपूर्ण मध्यप्रदेश में प्रदेश के डीजीपी के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों के तस्करो के विरुद्ध अभियान स्तर पर कार्यवाही की जाकर भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जब्त किये गये हैं। NDPS एक्ट के तहत कुल 999 प्रकरणों में 1285 अपराधियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई। जिनमें भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जब्त किये जाकर जहाँ एक ओर अपराधियों को जेल भेजा गया वहीं दूसरी ओर युवा पीढ़ी को नशे के गर्त में जाने व पतन होने से बचाने में सफलता प्राप्त की तथा नशे के दुष्प्रभाव से होने वाले अनेक संभावित गंभीर अपराधों को भी रोकने में सफलता प्राप्त की है।

विगत चार माह में अवैध मादक पदार्थों की जब्ती एवं तस्करो के विरुद्ध अभियान एक नज़र में

क्र.	मादक पदार्थ	प्रकरण	जब्त मात्रा	आरोपी
1	स्मैक (हेरोइन)	130	4.151 किग्रा.	161
2	अफीम (ओपियम)	32	79.943 किग्रा.	52
3	गांजा (केनोबिस)	699	3234.271 किग्रा.	849
4	गांजा पौधा	22	2773 नग पौधे	21
5	अफीम पौधा	07	53018 नग पौधे	10
6	चरस	05	0.323 किग्रा.	06
7	डोडा चूरा (पॉपीस्ट्रा)	74	13734.145 किग्रा.	138
8	कैमिकल ड्रग्स	30	32156 नग	48
महायोग		999		1285

देवास : “नकली नोट बनाकर बाजार में खपाने वाला रैकेट पकड़ाया, बटर पैपर, स्कैनर व कलर प्रिंटर की मदद से बनाते थे जाली नोट, 01 लाख 60 हजार रुपये के जाली नोट बरामद ”

दिनांक 01.04.2019 को थाना प्रभारी कोतवाली देवास श्री महेन्द्र परमार को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 03 लोग नकली नोट लेकर देवास की तरफ आने वाले हैं, जिन्हें उज्जैन रोड के ब्रिज के पास गार्डन में क्राइम ब्रांच टीम एवं थाना स्टाफ की मदद से पकड़ा। जिनके पास से 17 हजार कीमत के 50-50 के नकली नोट बरामद हुये। जिन्होंने पूछताछ में बताया कि वह पिछले 4-5 महीने से नकली नोट बटर पेपर पर कलर प्रिंटर एवं स्कैनर की सहायता से आरोपी नौशाद के घर पत्थर मुण्डला इन्दौर में बनाते थे और बाजार में चलाते थे। उनके द्वारा पूछताछ में बताया कि उसने अन्य व्यक्तियों को भी नकली नोट चलाने हेतु दिये हैं। आरोपी की निशानदेही पर उसके घर से लगभग 01 लाख 60 हजार रुपये के नकली नोट एवं नकली नोट छापने के उपकरण बटर पेपर,स्कैनर व कलर प्रिंटर जब्त किये गये हैं। प्रकरण में आरोपियों नौशाद अंसारी, कृष्ण नारायण, रवि प्रसाद जायसवाल, उमंग व्यास, विशाल, अवशेष लोधी, अभिजीत को गिरफ्तार किया गया है।

IPL क्रिकेट मैच पर खेले जाने वाला हाइटेक ऑनलाइन करोड़ों रुपये का सट्टा पकड़ाया

भोपाल शहर में IPL क्रिकेट मैच पर से ऑनलाइन करोड़ों रुपये का सट्टा, सटोरियों द्वारा खेले एवं खिलाये जाने की सूचना पर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ दि. 20.04.19 को कार्यवाही की गई। आरोपीगण LIVE365.COM एवं Krishnaexchange.com वेबसाइट के माध्यम से ग्राहकों को ID देकर सट्टा खिलाते थे। उक्त कार्यवाही में लगभग 500 करोड़ रुपये का सट्टा करोबार होना पता चला है। भोपाल शहर के कई थाना क्षेत्रों में IPL क्रिकेट मैच पर सट्टा खेलने एवं खिलानेवालों के विरुद्ध विधि अनुरूप कार्यवाही की गई।

मंदसौर : सनसनीखेज नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रहलाद बंधवार हत्याकांड “ हत्यारे 48 घंटे में पुलिस गिरफ्त में”

दिनांक 17.01.19 को नगर पालिका मंदसौर अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार को नई आबादी जिला सहकारी बैंक के सामने 19:00 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई। जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा ऑटो रिक्शा में डालकर जिला चिकित्सालय मंदसौर ले जाया गया जहां पर श्री बंधवार की मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना पर जिला चिकित्सालय मंदसौर पर भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ एकत्रित हो गई। आरोपी गोली मारने के पश्चात् बुलेट मोटर सायकिल क्रमांक सीआईयू 1834 घटनास्थल पर छोड़कर भाग गए, घटना की सूचना से मंदसौर नगर में सनसनी फैल गई थी।

पुलिस द्वारा स्थिति को नियंत्रित किया गया तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के साथ-साथ त्वरित गति से कई टीमों में अज्ञात आरोपी का पता लगाने व उसे गिरफ्तार करने में लगाई गई। पुलिस द्वारा शहरभर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गये। घटना के चन्द घण्टों के भीतर ही पुलिस ने पता लगा लिया कि इस सनसनीखेज हत्याकांड को उन्हीं के समर्थक एवं कार्यकर्ता मनीष बैरागी द्वारा चुनाव के समय दिये गये अपने रुपये

बंधवार हत्याकांड की हर पहलू पर जांच करेगी एसआईटी टीम

घटना स्थल पर पहुंचा दल, बंधवार के परिजनों से भी की बातचीत



बार-बार मांगने पर भी न लौटाने के कारण क्रोध में अंधा होकर अंजाम दिया गया है। पुलिस द्वारा घटना के 48 घण्टों के भीतर ही वारदात का खुलासा कर मुख्य अभियुक्त मनीष बैरागी को प्रतापगढ़ राजस्थान से तथा वारदात में सहयोग देने वाले अजय जाट को मंदसौर से फरार होते समय गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

जिला विदिशा द्वारा अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आग्नेय शस्त्र जप्त किये गये।



जिला विदिशा पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए थाना ग्यारसपुर द्वारा आरोपी 1- सुरेन्द्र उर्फ संतोष राजपूत पिता मोहर सिंह राजपूत उम्र 28 साल जिला देवास, 2- बबलू उर्फ भारत सिंह राजपूत पिता रूपसिंह राजपूत जिला उज्जैन से 06 देशी पिस्टल, 06 देशी 315 बोर कट्टा, 02 देशी 12 बोर कट्टा, 1 सिक्सर रिवाल्वर, 35 कारतूस 315 बोर कट्टा, 17 कारतूस 12 बोर कट्टा, 03 कारतूस 7.62 रिवाल्वर एवं 08 तलवारें जप्त की गईं एवं आरोपियों से पूछताछ करने पर ग्यारसपुर बस स्टैंड से आरोपी 1- आशिक पिता जब्बार खां जिला सीहोर, 2- करीम खां पिता सलीम खां जिला सीहोर, 3- शंकर पिता रामचंदर लौहार जिला उज्जैन को गिरफ्तार किया जाकर उनके कब्जे से 05 देशी कट्टे तथा 05 जिन्दा कारतूस बरामद किये गये।

जिला रायसेन द्वारा अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्यवाही

जिला रायसेन द्वारा अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए थाना सुल्तानगंज द्वारा आरोपी रामराज पिता कुंवर सिंह दांगी निवासी ग्राम पिपलिया विचौली को पुरषोत्तम पिता जगने अनु. जाति उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम पिपलिया विचौली की हत्या के प्रयास हेतु न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कारावास व 02 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा एससीएसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

गुना पुलिस को मिली बड़ी सफलता अन्तर्राज्यीय स्मैक तस्कर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक गुना श्री राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशानुसार जिले में संचालित अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान केन्ट पुलिस को अन्तर्राज्यीय स्मैक तस्कर कजोड़ मीना



पुत्र हीरालाल मीना निवासी ग्राम बटगांव, थाना हरनावदा, जिला बांरा, राजस्थान को 280 ग्राम स्मैक पॉवडर कीमत लगभग 56 लाख के साथ गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

ट्रेन से गिरा युवक, जान बचाने उसे कंधे पर उठाकर डेढ़ किलोमीटर ट्रैक पर दौड़ा सिपाही

जिला होशंगाबाद थाना सिवनी -मालवा द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2019 सुबह 9 बजे बादलपुर एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान चलती ट्रेन से गिरे व्यक्ति (शिवशंकर सरोज) को डायल - 100 के सिपाही पूनम बिल्लोर और पायलेट राहुल साकल्ले द्वारा अपने कंधे पर उठाकर डेढ़ किलोमीटर ट्रैक पर दौड़कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवनी-मालवा पहुंचाकर उसकी जान बचाई। पुलिस महानिदेशक ने उक्त कार्य की प्रशंसा की है एवं पुरस्कृत किया है।



दिनांक 20.01.19 को बड़वानी जिले के ग्राम बलवाड़ी थाना वरला क्षेत्र में बलवाड़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे रोजाना की तरह प्रातः घूमने के लिए गए थे कि ग्राम बलवाड़ी से केरमला संधवा रोड के पास प्रातः 06.30 बजे के करीब अज्ञात बदमाशों द्वारा मनोज ठाकरे पर धारदार हथियारों व पत्थरों से हमला किया गया। इस संबंध में थाना वरला पर अपराध क्रमांक 17/19 धारा 302 भादवि का अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कायम कर विवेचना में लिया गया एवं तत्काल डॉग स्कवॉड, एफ.एस.एल. टीम व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया। विवेचना में अनेक



लोगों से पूछताछ की गई, सीसीटीवी की फुटेज प्राप्त की गई, घटना स्थल से पीएसटीएन डाटा तथा संदेहियों के मोबाइल नंबरों की सीडीआर का विश्लेषण सायबर एक्सपर्ट्स से कराया गया।

लगातार कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद विवेचना में ज्ञात हुआ कि बलवाड़ी का ही एक वरिष्ठ नेता ताराचन्द्र बंजारा जो मनोज ठाकरे को राजनीति में लाया था व आगे बढ़ाया था धीरे-धीरे उसके बढ़ते राजनीतिक कद एवं प्रभाव से जलकर व राजनीतिक रंजिशवश मनोज ठाकरे को निपटाने की पाँच लाख रुपये में सुपारी देकर हत्या कराई थी। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपीगण ताराचंद्र बंजारा इसका पुत्र विजय उर्फ दिग्विजय राठौर, कैलाश बंजारा उर्फ नानू, अंगरिया बरेला, अनिल भील, कालू सिंह गोण्ड, दिलीप तड़वी भील को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मध्यप्रदेश- सायबर पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ :

- ई-कामर्स वेबसाइट पर फर्जी आईडी बनाकर महंगे ब्रांडेड मोबाइल हैंडसेट मंगाकर अमेजन की बाय बैक स्कीम का दुरुपयोग किया जाकर ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन को लगभग 20 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया गया। संगठित रूप से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को राज्य सायबर सेल इंदौर द्वारा माह जनवरी 2019 में गिरफ्तार कर धोखाधड़ी से अर्जित संपत्ति, मोबाइल फोन जब्त किये गये।
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य सायबर पुलिस को डिजिटल इन्वेस्टिगेशन एण्ड सायबर सिक्यूरिटी समिट 2019 में स्टॉप बैंकिंग फ्राड इन सेफ सिटी इनीशियेटिव में उत्कृष्ट कार्य के लिये अवॉर्ड दिया गया।

एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाला गिरोह पकड़ा



जिला सतना में एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। थाना नागौद द्वारा 16 कार्ड 03 बाइक सहित 07 आरोपी 1. चिट्टू उर्फ दयानंद विश्वकर्मा पुत्र



रामचरण उम्र 26 साल निवासी पाठक मार्केट सलेहा रोड देवेन्द्र नगर 2. रामप्यारे चौधरी उर्फ छंगा पुत्र कल्ला उम्र 29 साल निवासी नुनगरा 3. अनुज पाठक पुत्र राजेन्द्र उम्र 23 साल निवासी चादनी चौक बमरी देवेन्द्र नगर 4. सतेन्द्र गौतम पुत्र प्रभुदयाल उम्र 26 साल निवासी बड़ागांव देवेन्द्र नगर 5. सोमकमल सोनी पुत्र वंशीधर उम्र 24 साल निवासी बड़ागांव 6. भोलू उर्फ अनिरुद्ध सिंह पुत्र सूरज पाल उम्र 29 साल निवासी तलइयां देवेन्द्र नगर 7. तूफान खान उर्फ रिकू पुत्र हुसैन उम्र 26 साल निवासी तलाइयां मोहल्ला, देवेन्द्र नगर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

रतलाम : बिलपांक- फरियादी ही निकला हत्यारा “बीमे की राशि हड़पने के लिये की थी अपने ही नौकर की हत्या” वैज्ञानिक अनुसंधान से मिली रतलाम पुलिस को बड़ी सफलता

दिनांक 23.01.19 को 09:30 बजे सुरेश पाटीदार द्वारा डायल 100 पर सूचना दी कि उसके बाबा के लड़के हिम्मत पाटीदार की हत्या उसके खेत में अज्ञात बदमाश द्वारा कर दी गई है। सूचना पर प्रकरण पंजीबद्ध कर घटना स्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एफ.एस.एल. अधिकारियों, डॉग स्कावड एवं सायबर सेल अधिकारी पहुंचे। मृतक के शव का निरीक्षण करने पर पाया कि मृतक के गले पर किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर, हत्याकर पहचान छुपाने के लिये मृतक के चेहरे को जलाया गया था। शव की पहचान उसके परिजनों द्वारा की गई। उसके कपड़ों से मोबाइल, पर्स, आधार कार्ड, एटीएम, पॉकेट डायरी, बैंक खाता एफडी व अन्य दस्तावेज बरामद हुये। जांच के दौरान आये तथ्यों व साक्ष्यों का विश्लेषण करने से शंका होने पर मृतक का डीएनए परीक्षण कराने पर मृतक कथितानुसार हिम्मत पाटीदार न होकर उसका पूर्व नौकर (हाली) मदन मालवीय होना पाया गया। हिम्मत पाटीदार द्वारा अपनी उधारी के चलते बीमा की राशि प्राप्त करने के लिये सुनियोजित तरीके से अपने ही पूर्व नौकर मदन मालवीय की हत्या कर पहचान छिपाने के लिये उसका चेहरा जलाकर अपने कपड़े पहनाकर व शिनाख्ती दस्तावेज उसके कपड़ों में रखकर खुद फरार हो गया तथा पुलिस को गुमराह करने के लिये झूठी सूचना डायल 100 पर दी गई। आरोपी हिम्मत पाटीदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

इन्दौर : हीरानगर “06 वर्षीय बालक अक्षत जैन का अपहरण, पुलिस की त्वरित कार्यवाही से सागर में छोड़ भागे बदमाश यू.पी. के ललितपुर में पकड़ाये”

दिनांक 10 फरवरी, 2019 को इन्दौर के प्राइम सिटी सुखलिया निवासी किराना व्यवसायी रोहित जैन का 06 वर्षीय बालक अक्षत जैन अपने घर के पास गार्डन में खेल रहा था कि 20-22 वर्ष का एक युवक आया और बच्चे को उसके नाम से बुलाया कहा कि तुम्हारी दादी तुम्हें बुला रही हैं और गार्डन के पास खड़े अपने मोटर सायकिल सवार साथी के साथ बच्चे को ले गये। बाद में फरियादी के पास 10 लाख की फिरोती देने के संबंध में अज्ञात आरोपियों द्वारा फोन किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस तत्काल एक्शन में आई और अपहृत बालक की तलाश

ढाई लाख का कर्ज चुकाने के लिए किया था अक्षत का अपहरण, 5 आरोपी गिरफ्तार

आरोपी रेकी के लिए व्यापारी की दुकान पर सिगरेट पीते आते थे

भारत न्यूज़ | इंदौर



में संपूर्ण मध्यप्रदेश में व्यापक अभियान चलाकर नाकाबंदी, चैकिंग कराई गई। सीसीटीवी फुटेज तथा फिरोती के लिये आये कॉल नम्बर की सी.डी. आर. तथा टावर लोकेशन के आधार पर बदमाशों को ट्रैक किया गया। जिनका देवास भोपाल होकर सागर तरफ जाना मालूम पड़ा। सघन नाकाबंदी

के परिणामस्वरूप दिनांक-11.02.2019 के शाम को 06:00 बजे अपहृत बालक अक्षत जैन को सागर जिले के मालधौन धाना क्षेत्र में हाईवे पर पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान सकुशल बरामद कर लिया गया। जिसे आरोपीगण पुलिस की सघन चैकिंग देखकर अपहृत बालक को छोड़कर वहां से फरार हो गये थे। इस सनसनीखेज घटना को अंजाम देने वाले आकाश पाराशर, रिद्धेश साहू, अरविंद कुशवाह, आशीष चतुर्वेदी एवं सचिन साहू को उत्तरप्रदेश के ललितपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

दमोह- बहुचर्चित देवेन्द्र चौरसिया हत्याकांड के आठ आरोपी गिरफ्तार



दिनांक 10.03.19 को श्री देवेन्द्र चौरसिया जो किसी राजनीतिक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता थे एवं जिन्होंने कुछ समय पूर्व ही उक्त राजनीतिक पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। इसी बात से नाराज होकर राजनीतिक रंजिशवश पथरिया से विधायक के पति गोविंद सिंह, भतीजे गोलू एवं अन्य साथियों द्वारा एक राय होकर मृतक के डामर प्लांट ढोलिया खेड़ा, हटा में पहुंचकर लाठी डंडों से मृतक व उसके बेटे सोमेश के ऊपर प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से मारपीट की गई। जिनकी जबलपुर में ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई एवं इनका पुत्र सोमेश भी घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुये छानबीन की गई एवं सूक्ष्मता से अनुसंधान किया गया प्रकरण में सभी नामजद आरोपियों गोलू उर्फ जितेन्द्र, राजा अहिरवार, अनीस खान, मोनू तंत्राय, चंदू सिंह, विकास पटेल, बलवीर सिंह तथा अमजद उर्फ बूटा को गिरफ्तार कर लिया गया है।

सतना : “मासूम जुड़वां प्रियांश, श्रेयांश के हत्यारे गिरफ्तार” फिरोती के लिये किया था अपहरण, पहचान उजागर होने के डर से की दोनों की हत्या

श्री ब्रजेश रावत सीतापुर चित्रकूट उत्तरप्रदेश में रहते हैं। इनका दर्दनाशक तेल का व्यवसाय है। इनके 04 पुत्र हैं, जिनमें से 02 जुड़वां पुत्र प्रियांश एवं श्रेयांश सीतापुर चित्रकूट से नयागांव सतना स्थित सदगुरु स्कूल में पढ़ने आते थे। जो दि. 12.02.19 को दोपहर 12:30 बजे स्कूल समाप्त होने के बाद स्कूल बस से अपने घर वापस आ रहे थे कि स्कूल कैम्पस से जैसे ही बस आगे बढ़ी तभी दो बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधे हुये ग्लैमर मोटर सायकिल से आये और बस के आगे मोटर सायकिल अड़ा दी और बस में चढ़कर कट्टा दिखाकर दोनों बच्चों को उठाकर मोटर सायकिल पर बिठाकर लेकर चले गये। संबंधित घटना में आरोपियों की पतारसी के लिये 50,000/- रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी। आरोपियों की तलाश हेतु टीमें गठित कर अपहृत बालकों की तलाश एवं आरोपियों की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किये गये। इसी बीच आरोपियों द्वारा अपहृत बालक के पिता से फिरोती हेतु दो करोड़ रुपये की मांग फोन द्वारा की गई। आरोपीगण आम राहगीर से फोन लेकर फिरोती के लिये फोन करते थे, इन्हीं में से एक राहगीर को शंका होने पर उसके द्वारा आरोपियों की मोटर सायकिल के नम्बर का फोटो अपने मोबाइल में ले लिया था जिसका नम्बर यू.पी.-90-एल-5707 था। जिसकी पतारसी करने पर आरोपी रोहित द्विवेदी निवासी-भवुआ थाना-बबेरु जिला-बांदा को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। जिसने अपने साथियों पदम शुक्ला एवं अन्य चार साथियों के साथ उक्त बालकों को फिरोती के लिये अपहरण कर पहचान उजागर होने के डर से हत्या कर दी गई थी तथा मासूमों के पिता से 20 लाख रुपये भी एंठ लिये थे। आरोपी रामकेश यादव अपहृत बच्चों को द्यूशन पढ़ाता था। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को तत्परतापूर्वक गिरफ्तार कर फिरोती हेतु दी गई राशि 20 लाख रुपये बरामद कर ली गई है। प्रकरण में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

सतना मैहर : “मानव तस्कर गैंग पकड़ाया”- सात वर्षीय बालिका का किया था अपहरण, नागपुर में बेचने की थी तैयारी, अपहृत बालिका सकुशल बरामद

दिनांक 05.03.2019 को श्री शिवलाल साकेत निवासी मिसिरगंगा थाना मउगंज जिला रीवा की लड़की गुम हो गई थी। घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुये पुलिस द्वारा अपहरण का प्रकरण दर्ज कर मैहर कस्बे में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चैक की गई। जिसमें अपहृत बालिका एवं संदिग्ध व्यक्ति का चेहरा सामने आने पर पैम्फलेट तैयार करवाकर अनेक स्थानों पर चस्पा कराये गये एवं वितरण कराया गया।

दिनांक 26.03.2019 को थाना प्रभारी श्री शिवपूजन सिंह को मुखबिर सूचना मिलने पर रायपुर कर्चुलियान में दबिश देकर अपहृत बालिका को आरोपिया रानी तिवारी के कब्जे से दस्तयाब किया गया। पूछताछ में रानी तिवारी ने नागपुर में गंगा यमुना स्थित वैश्यागृह से संबंध रखना व घटना में इसका भतीजा राकेश तिवारी उर्फ लल्लू शामिल होना स्वीकार किया तथा यह भी बताया कि वे लोग अपहृत बालिका को देह व्यापार हेतु बेचने के लिये नागपुर तक ले आये थे उसके बाल कटवाये एवं कपड़े, हुलिया बदल दिया किन्तु पुलिस की सक्रियता, सख्ती और सरगर्मी को देखकर पकड़े जाने के डर से अपहृता को वापिस लेकर रायपुर कर्चुलियान आ गये जहां से पुलिस द्वारा रंगे हाथों पकड़े गये।

जिला खरगौन द्वारा अवैध हथियारों का निर्माण एवं व्यापार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

जिला खरगौन पुलिस द्वारा विगत तीन माह में अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए थाना चैनपुर द्वारा आरोपी मुकेश पिता बोदर सिंह बडौले उम्र 25 वर्ष से 08 देशी पिस्टल जब्त, थाना भीकनगांव द्वारा आरोपी चन्द्रभान सिंह भदौरिया 26 वर्ष से 05 पिस्टल जब्त, थाना बैडिया द्वारा आरोपी जांगल उर्फ छोटू पिता वीरसिंह उम्र 25 वर्ष से 02 पिस्टल, 02 बत्तीस बोर, 01 बारहबोर के देशी कट्टा जप्त, थाना खरगौन द्वारा आरोपी 1- राघवेन्द्र पिता फुलसिंह शर्मा उम्र 30 वर्ष जिला ग्वालियर, 2- सोनू पिता जीतसिंह गिल उम्र 25 साल जिला ग्वालियर, 3- जितेन्द्र पिता पुरुषोत्तम सैनी उम्र 30 साल



जिला ग्वालियर, 4- तकदीर पिता रतनसिंह सिकलीगर उम्र 35 साल जिला खरगौन से 04 देशी पिस्टल, 02 बारह बोर एवं 04 कारतूस जप्त, थाना ऊन द्वारा 1- अरुण पिता अजबसिंह जाट उम्र 20 साल जिला अलीगढ़ (उ.प्र.), 2- पवन पिता अजबसिंह जाट उम्र 30 साल जिला

अलीगढ़ (उ.प्र.) से 03 देशी कट्टे 07 देशी पिस्टल जब्त, थाना भगवान पुरा द्वारा आरोपी नानक सिंह पिता जगदीश सिकलीगर उम्र 26 साल, 2- शेरसिंह पिता धरमसिंह सिकलीगर उम्र 24 साल से 10 देशी पिस्टल एवं अवैध हथियार बनाने का सामन (कारखाना) जब्त किया गया।

थाना ऊन के प्रकरण में हत्या के आरोपी रेम सिंह पिता गुलाबसिंह भिलाला उम्र 22 साल निवासी बनिहार को मृतिका रजनीबाई बेवा माल सिंह भिलाला उम्र 36 साल नि. आछलवाडी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास तथा 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नीमच मनासा : “अंधे कल्ल की गुत्थी सुलझाई”

दिनांक 07.02.19 को शाम 06:00 बजे दिनेश पिता नाथू लाल बांछड़ा ग्राम बार्डिया से मनासा नोट्स लेने गया था। जो वापस नहीं आया। रात्रि 20:30 बजे उसकी बहिन ज्योति के मोबाइल पर दिनेश के मोबाइल से फोन आया व उधर से कोई अज्ञात व्यक्ति बोला कि “20 लाख रुपये दे जाओ और दिनेश को ले जाओ पुलिस को मत बताना” उसके बाद से दिनेश का मोबाइल बंद हो गया। सूचना पर पुलिस द्वारा अप.क्र. 74/19 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 11.02.19 को पुनः सूचना प्राप्त हुई की एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पालनातलाई मनासा के पास कुएं में तैर रही है। पुलिस द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर लाश की पहचान कराई गई तो वह लाश अपहृत व्यक्ति दिनेश बांछड़ा की पाई गई। विवेचना में संदेही पवन कुशवाह से पूछताछ में खुलासा हुआ कि एक वर्ष पूर्व हुये झगड़े को लेकर दिनांक 07.02.19 को मृतक दिनेश को मनासा बुलाया था जहां से बातों में लगाकर उसे बर्झिया मनासा के बीच खेत में ले जाकर पवन कुशवाह व उसके साथी बबलू पिता तुलसीराम कुशवाह तथा कमल पिता तुलसीराम कुशवाह द्वारा गला दबाकर उसकी हत्या कर लाश कुएं में डाल दी। नीमच पुलिस द्वारा घटना के चार दिवस के भीतर ही अंधे कल्ल का खुलासा कर वारदात में शामिल तीनों आरोपीगण को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। प्रकरण में चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया है।

महिला अपराध के संदर्भ में संवेदनशील मध्यप्रदेश पुलिस

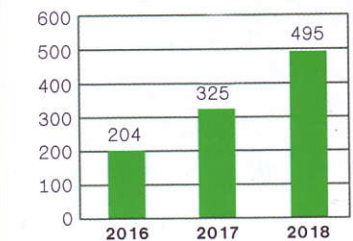
मध्यप्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों के संबंध में पुलिस मुख्यालय स्तर पर सतत मॉनिटरिंग की जाती है, समय-समय पर प्रशिक्षण एवं सेमिनार आयोजित किये जाते हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय कार्यों का विवरण निम्नानुसार है -

● वर्ष 2019 में प्रथम 04 माह में महिला संबंधी अपराधों में 03 प्रकरणों में फांसी की सजा हुई। **थाना अमलाई जिला शहडोल** के अप.क्र. 217/15 धारा 376-1, 302, 201 भादवि एवं 5/6 पॉस्को एक्ट जिसमें 15 दिवस में अनुसंधान पूर्ण कर चालान प्रस्तुत किया गया। जिसमें विचारण पश्चात् आरोपी को दोहरे मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है। थाना सिविल लाइन जिला छतरपुर के अप.क्र. 66/17 धारा 457, 376, 323, 302, 450 भादवि में 66 दिवस में अनुसंधान पूर्ण कर चालान प्रस्तुत किया गया। जिसमें एक साल आठ माह में विचारण एवं निर्णय होकर आरोपी को अलग-अलग धाराओं में क्रमशः मृत्युदण्ड, 10 वर्ष कठोर कारावास, आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इसी प्रकार थाना शाहपुर जिला बुरहानपुर के अप.क्र. 435/18 धारा 366-ए, 376(2)(ड), 376(1), 302, 201 भादवि एवं 3/4 पॉस्को एक्ट में 34 दिवस में अनुसंधान पूर्ण कर चालान प्रस्तुत किया गया जिसमें 72 दिवस में विचारण एवं निर्णय होकर आरोपी को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है। इसी प्रकार दि.01/01/2019 से 31/03/2019 तक कुल 836 प्रकरणों में सजा हो चुकी है इसमें 73 आजीवन कारावास की सजाएं दी गई हैं।

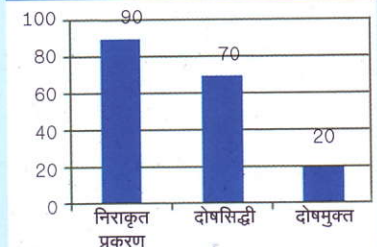
● दिनांक 8 मार्च 2019 को पुलिस मुख्यालय में महिला क्राइम रिपोर्टर के साथ “अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस” सम्मेलन आयोजित किया गया है।

● विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये 110 मैदानी अधिकारियों का 11 से 13 मार्च 2019 को प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जोन एवं जिलों में भी प्रशिक्षण कराने के प्रयास जारी रखे गये। प्रशिक्षण के लिये उच्च

महिला संबंधी चिन्हित अपराध वर्ष 2016, 2017, 2018



महिला संबंधी निराकृत चिन्हित अपराध जनवरी से मार्च 2019



गुणवत्ता वाला Content तैयार किया गया और 06 केस स्टडीज बनाई गई।

● 12 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं के साथ बलात्कार के प्रकरणों को “चिन्हित” कराया जाकर इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है।

● DNA परीक्षण हेतु सैम्पल भेजने की प्रक्रिया में सुधार कराया गया है। अब जोनल पुलिस महानिरीक्षक के स्थान पर जिला पुलिस अधीक्षक को ही अधिकृत कर दिया गया है।

● पुलिस मुख्यालय स्तर पर सतत मॉनिटरिंग एवं मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप 50% से अधिक बलात्कार के प्रकरणों में दो माह की अवधि के भीतर विवेचना पूर्ण हो रही है। भारत सरकार गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बलात्कार के प्रकरणों में शीघ्र निराकरण के मामलों में देश में मध्यप्रदेश तृतीय स्थान पर है।

दम निकलने तक फांसी पर लटका रहेगा आरोपी

बलात्कार कर हत्या के आरोपी को मिली दोहरी मृत्युदण्ड की सजा

हाइडाली राउत न्यायालय

बुद्धार न्यायालय के आर. जिला एवं न्यायाधीश ने प्रकरण क्र. 160/15, अपराध क्र. 271/15, धारा 302, 376 (II), 201 आई.पी.सी., सह रॉडिन धारा 5/6 वैयक्तिक अपराध से बालकों के पराक्रम अभिनय के तहत आरोपी 'प्रत्यक्ष केवट' जिला हाइडाली केवट उम्र 38 वर्ष निवासी आर. जिला, हाइडाली जिला अमलाई को धारा 302(ए) के आरोप



के आरोप में मृत्युदण्ड एवं 200 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया और आदेश दिया गया कि आरोपी मर्दन पर फांसी लगाकर जब तक लटका कर रखा जाय जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए एवं 201 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 200 रुपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया।

यह है घटना...

ढका मिला था शव

राजकुमार शिव केवट पिता कर्ताराम

शिव कर्तार 07 बजे भूसे मिला था

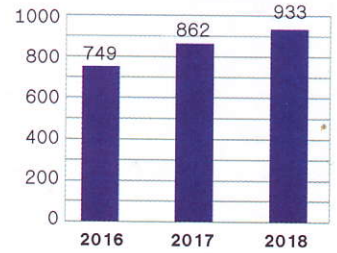
मृत्यु दर्ज कराई गई कि दिनांक 09 जून 2015 को मेरी बही बेटी को इस वर्ष कल 06 बजे की है।

इस लंग दोपहर खाना खाकर घर में आराम करने लगे। बेटी भी खाना खाकर घर में 1:30 बजे तक रही। हम लोग 3-4 बजे से बेटी की तलाश करने लगे लेकिन वह कहीं नहीं मिली।

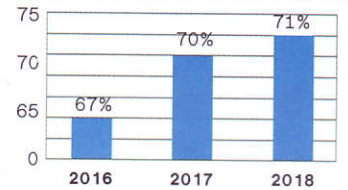
पर आ जाओ। पर अपने पर देखा कि न उनके केवट के घने घर के अंदर कमरे में बेटी का शव खान के पैर से ब हुआ देखा।

तब आसपास के लोगों को बताया कि खान केवट दर्ज कराई। शवमन की ओर प्रकरण का सफल संचालन राजकुमार रावत, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अधिकारी द्वारा किया गया। सहायक न्याय में मनोज कुमार गनिबा व कि कुमारी कीर्तिमया सहायक जिला ले अभियोजन अधिकारी बुद्धार द्वारा सहित

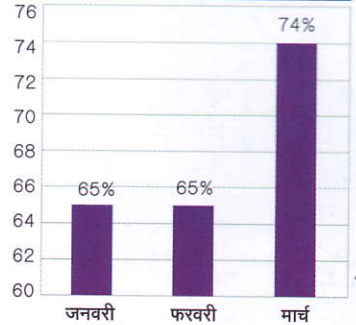
कुल चिन्हित अपराध वर्ष 2016, 2017, 2018



चिन्हित अपराध सजायाबी प्रतिशत वर्ष 2016, 2017, 2018



सजायाबी प्रतिशत चिन्हित अपराध माह जनवरी से मार्च, 2019



मध्यप्रदेश में गंभीर प्रकृति के अपराधों को चिन्हित करने की विशेष योजना वर्ष 2008 से प्रारंभ की गई है, जो निरंतर जारी है। चिन्हित अपराधों की समीक्षा हेतु जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर समितियां गठित की गई हैं जिसकी मासिक एवं समय-समय पर समीक्षा की जाती है। वर्ष 2008 से माह मार्च अन्त 2019 तक की स्थिति में कुल 5192 जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों को चिन्हित श्रेणी में लिया गया है। इनमें से 4985 प्रकरणों में विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें से 3026 प्रकरणों का न्यायालय द्वारा निराकरण किया गया है। इन निराकृत प्रकरणों में से 1986 प्रकरणों में आरोपियों को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है। दोषसिद्ध प्रकरणों में मृत्युदण्ड-64, आजीवन कारावास-1354 एवं 10 वर्ष तक या उससे अधिक कारावास-569 प्रकरणों में आरोपियों

को दण्डित किया गया है। इस प्रकार समग्र सजायाबी का प्रतिशत 66% है।

वर्ष 2019 (माह मार्च अन्त तक) में कुल 218 जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों को चिन्हित श्रेणी में लिया गया है। कुल 181 चिन्हित प्रकरणों का न्यायालय द्वारा निराकरण किया गया जिनमें से 123 चिन्हित प्रकरणों में दोषसिद्ध हुई है। इस प्रकार सजायाबी का प्रतिशत 68% रहा है। इन निराकृत प्रकरणों में मृत्युदण्ड-4, आजीवन कारावास-74 एवं 10 वर्ष तक या उससे अधिक अवधि के कारावास-45 प्रकरणों में आरोपियों को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।

अत्यंत गंभीर अपराधों में फास्ट ट्रेक कोर्ट से शीघ्र निर्णय की इस योजना में बेहतर सजायाबी के अच्छे परिणाम सामने आये हैं एवं आम जनमानस द्वारा इसे सराहा गया है।

जिला- भिण्ड थाना कोतवाली अप.क्र. 232/16 धारा 302, 201 भादवि चार नाबालिग और महिला की हत्या करने वाले युवक को फांसी की सजा

भिंड शहर के वीरेंद्र नगर इलाके में एक महिला और चार नाबालिगों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने वाले अंकुर उर्फ नीतेश दीक्षित को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एमएल राठौर ने फांसी की सजा सुनाई। युवक ने एक के बाद एक पांच लोगों की गला रेतकर हत्या की थी अवैध संबंध उजागर न हो इसलिए की हत्या। पड़ताल में सामने आया कि आरोपी अंकुर पुत्र राजेश दीक्षित निवासी डॉक्टर पाराशर वाली गली गोविंद नगर के मृतिका रीना शुक्ला से अवैध संबंध थे। रात में वह रीना से मिलने गया था। वहीं रीना ने सभी बच्चों को पहले ही नींद की गोलियां दे दी थीं। पर अचानक गोलू जाग गया और उसने अंकुर और रीना को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद अंकुर ने एक के बाद एक सभी की गला रेतकर हत्या कर दी।



जिला शहडोल थाना अमलाई अप.क्र. 217/15 धारा 302, 201, 376 भादवि, 5/6 पाक्सो एक्ट 11 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के दोषी को दोहरे मृत्युदंड की सजा

मध्यप्रदेश के शहडोल जिले की एक स्थानीय अदालत ने 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में दोषी करार देते हुए एक शख्स को दोहरे मृत्युदंड की सजा सुनाई है। बुद्धार के अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार रावत ने बताया कि न्यायाधीश आर.जी. प्रजापति ने मामले में दोषी रामनाथ केवट को दोहरे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई।

अपने फैसले में अदालत ने कहा कि रामनाथ को तब तक फांसी पर लटकाकर रखा जाए जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। रावत ने बताया कि छठी कक्षा की छात्रा अचानक घर से लापता हो गई थी। बाद में पास में ही स्थित एक सुनसान घर में उसका शव भूसे के ढेर में दबा हुआ मिला। उन्होंने बताया कि पुलिस को जांच में पता चला कि रामनाथ को उस घर में जाते और बाहर निकलते देखा गया था।

दिनांक 13.03.19 को आरोपियों 1. मोनू उर्फ रोहित सुखवानी, 2. संजय कुमार जाटव, 3. अक्षय कुन्दनानी, 4. नारायण आहुजा एवं 5. देवेश कुन्दनानी ने महानगरी एक्स के एस-10 एवं एस-11 में आरोपियों ने पुलिस वर्दी धारण कर चैकिंग के नाम पर फरि. विकास यादव पिता पन्नालाल यादव एवं मेहुल पटेल पिता कान्ती लाल पटेल को बातों में उलझाये रखकर बर्थ के नीचे रखे बैगों में रखी रकम चोरी कर ले गये। जिसमें जीआरपी



थाना खण्डवा ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी बीएस कौरव के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। जिसमें सउनि बीएस

बघेल, प्रआर 350 रामाश्रय द्विवेदी, वरि.आर. 418 सुरेश परधाने, आर. 590 संदीप मीना, आर. 239 पुष्पेन्द्र सिंह धाकड़, आर. 307 शिवकुमार जाट, आर. 706 कमलेश द्वारा माल-मुल्जिम की पतारसी करते हुए सायबर सेल भोपाल से प्राप्त सीडीआर के आधार पर उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी की रकम 2,65,20,500 (दो करोड़ पैंसठ लाख बीस हजार पांच सौ) रुपये जप्त करने में सफलता प्राप्त की।

द्विवर्षीय तुलनात्मक वर्ष- 2018-2019 (जनवरी से अप्रैल)

1. लघु अधिनियम -

क्र.	शीर्ष	2018	2019	प्रतिशत 2019/2018
1	आर्म्स एक्ट	2805	5608	+99.93
2	एन.डी.पी.एस. एक्ट	340	884	+160.00
3	विस्फोटक एक्ट	16	46	+187.50
4	आबकारी एक्ट	22164	30663	+38.35
5	जुआ एक्ट	7042	10178	+44.53
6	मो.व्ही. एक्ट	328309	377417	+14.96
7	ई.सी. एक्ट	25	50	+100.00
8	पुलिस एक्ट	6112	4863	-20.44
	योग	366813	429709	+17.15

2. प्रतिबंधात्मक कार्यवाही (द्विवर्षीय तुलनात्मक)-

क्र.	शीर्ष	2018	2019	प्रतिशत 2019/2018
1	110 द.प्र.सं.	20408	24430	+19.71
2	109 द.प्र.सं.	140	40	-71.43
3	107/116(3) द.प्र.सं.	135150	154695	+14.46
4	151 द.प्र.सं.	27711	19060	-31.22
5	रासुका	141	102	-27.66
6	जिला बदर	902	1294	+43.46
	योग	184452	199621	+8.22

जिला बुरहानपुर थाना शाहपुर अप.क्र.- 435/18 धारा 363 इजाफा 366ए, 376(2)एम, 376ए,बी, 302, 201 भादवि, 3/4 पाक्सो एक्ट 3 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी को मिली दोहरी फांसी की सजा, आरोपी इतना बड़ा हैवान कि मवेशियों के साथ भी करता था कुकृत्य



15 अगस्त 2018 को बुरहानपुर जिले के मोहद इलाके में साढ़े तीन साल की बालिका का अपहरण, रेप और हत्या करने का आरोपी विजय उर्फ पिंट्या वहशी और कामुक प्रवृत्ति का है। वह इसके लिए तंत्र-मंत्र का भी सहारा लेता था। बालिका से रेप और हत्या करने तथा शव मिलने के बाद वह अपने ससुराल महाराष्ट्र भाग गया था। 18 अगस्त को तांत्रिक नर्मदा प्रसाद बैरागी को फोन कर उसने अपराध कबूला था। उसने तांत्रिक से कहा था गांव में बुरा काम हो गया है। लड़की के कांड वाली गलती मुझसे ही हुई है। यह बुरा काम मैंने ही किया है। आरोपी विजय बालिका को चॉकलेट का लालच देकर साथ ले गया था और रेप कर हत्या कर दी थी। जांच में विजय के घर से पुलिस को 28 पत्रों की एक लाल डायरी भी मिली थी। इस पर 'कामदेव की जय' लिखा था। डायरी के पत्रों पर महिलाओं को वश में करने के तंत्र-मंत्र लिखे थे। डायरी के साथ ही पुलिस को तंत्र-मंत्र लिखी चार पर्चियां भी मिली थीं।

जिला छतरपुर थाना सिविल लाइन अप.क्र. 66/17 धारा 457, 376, 323 इजाफा 302 भादवि म.प्र./छतरपुर में वृद्धा से ज्यादाती कर हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा

विशेष न्यायाधीश नोरिन निगम ने इस वारदात को बहुत ही जघन्य करार दिया। फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा दी है। दो साल पहले 22 फरवरी, 17 को सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह वृद्ध महिला किराए के घर में रहती थी। 21 फरवरी की रात को वह खाना खाकर अपने कमरे में सो गई। सुबह करीब 5 बजे उसने देखा कि महिला के कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। वहां जाकर देखा तो वृद्धा के शरीर पर चोट के साथ खून बह रहा था। बेहोशी की हालत में महिला को जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना स्थल से एक चश्मा और शर्ट के बटन बरामद किए। 28 फरवरी को इलाज के दौरान पीड़िता की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई।

प्रधान संपादक - श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, पु.म.नि., अ.अ.वि., संपादक - श्रीमती किरण लता केरकेट्टा, श्रीमती श्रद्धा तिवारी, स.म.नि., अ.अ.वि.
सहसंपादक - श्री आदिल इमाम, निरीक्षक अ.अ.वि.

समस्त पुलिस अधीक्षकों से आग्रह है कि आपके जिले में किये जा रहे अच्छे कार्यों की जानकारी अ.अ.वि. मुख्यालय (क्राइम सेल) को भेजने का कष्ट करें, ताकि उसका प्रकाशन अ.अ.वि. के आगामी न्यूजलेटर में कराया जा सके।